लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5645

26 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

असम में वस्त्र क्षेत्र

5645. श्री अब्दुल खालेकः

श्री गौरव गोगोईः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कोई निवेशक 2017 से असम में हथकरघा, वस्त्र और हस्तशिल्प क्षेत्र में निवेश करने के इच्छुक हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) असम में क्षेत्र-वार कितने वस्त्र/जूट मिलें हैं;

(ग) क्या सरकार का असम में नए वस्त्र/जूट मिलों की स्थापना करने और सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के हिस्से के रूप में या पीपीपी मॉडल के द्वारा रुग्ण और बंद पड़े मिलों के पुनरुद्धार का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकर ने असम में रेशम उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई उपाय किए हैं और यह स्पष्ट करें कि क्या रेशम उत्पादन को आरटीपीएस के अंतर्गत रखा जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या असम में केन्द्रीय रेशम बोर्ड का एक क्षेत्रीय कार्यालय है और यदि नहीं तो क्या सरकार इसे स्थापित करना चाहेगी तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या असम कॉ-ऑपरेटिव जूट मिल्स लिमिटेड सिल्हाट, नगांव (असम) को विशेष पैकेज देने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क): विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय ने असम में कारीगरों के समग्र विकास के लिए अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई) के तहत 39 कलस्टर शुरू किए हैं जिन्होंने विगत दो वर्षों के दौरान 4970 कारीगरों को लाभान्वित किया है। असम राज्य के शिवसागर में 63,686 हथकरघों को शामिल करते हुए एक मेगा हथकरघा कलस्टर मंजूर किया गया है और 21.75 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इसके अतिरिक्त 56,906 हथकरघा बुनकरों को शामिल करते हुए ब्लॉक स्तर के 62 कलस्टर मंजूर किए गए है और 40.95 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। कारोबार का प्रसार करने के लिए हथकरघा बुनकरों को 14.26 करोड़ रुपए के 4,537 मुद्रा ऋण मंजूर किए गए हैं।

(ख): असम राज्य में निम्नलिखित दो कंपोजिट पटसन मिलों को सूचीबद्ध किया गया है:-

क्र.सं.	**पटसन मिल का नाम**	**मिल का पता**
1	असम सहकारी पटसन मिल्स लि.	पी.ओ. सिलीघाट-782143, जिला-नौगांव, असम
2	अटलांटा मॉड्यूल प्रा.लि.	एनएच-37, बिहं निजों ट्यूल्स, वेस्ट बोरागांव, गुवाहाटी, असम

(ग): पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस) के तहत वर्ष सरकारी क्षेत्र में असम और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (बीटीसी) में दो ऐरी स्पन सिल्क मिल्स स्थापित किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन वर्ष 2018-19 के दौरान किया गया है। सरकार ने रुग्ण और संभावित रूप से रुग्ण कंपनियों का समय पर पता लगाने और उपचारात्मक उपाय करने की दृष्टि से रुग्ण औद्योगिक कंपनियों (विशेष उपबंध) अधिनियम के तहत औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन किया है।

(घ): जी, हां। भारत सरकार ने केंद्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से एनईआरटीपीएस के तहत चार श्रेणियों अर्थात एकीकृत रेशम विकास परियोजना (आईएसडीपी) और गहन बाइवोल्टाइन रेशम विकास परियोजना (आईबीएसडीपी), ऐरी स्पन सिल्क मिल्स (ईएसएसएम) तथा एस्पाइटेशनल डिस्ट्रिक्ट (एडी) में रेशम उत्पादन परियोजनाओं को क्रियान्वित करके असम में रेशम उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय किए हैं। इस संबंध में मंजूर और जारी की गई धनराशि नीचे दी गई हैं:-

(करोड़ रुपए में)

परियोजना का नाम	**परियोजना लागत**	**भारत सरकार का हिस्सा**	**जून, 2019 तक जारी धनराशि**
आईएसडीपी	186.99	153.17	113.06
आईबीएसडीपी	59.61	53.03	50.37
ईएसएसपी	43.06	38.18	-
एडी	41.31	38.19	-
कुल	**330.96**	**282.56**	**163.43**

(ङ): जी, हां। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर नजर रखने और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों के सहयोग से पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेशम उत्पादन के विकास संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए गुवाहाटी में एक क्षेत्रीय कार्यालय कार्य कर रहा है।

(च): आज की तारीख तक असम सहकारी पटसन मिल्स लि., सिलघाट, नौगांव (असम) को विशेष पैकेज मंजूर किए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, इसकी प्रतिकूल भौगोलिक स्थिति और

स्थानीय बाजारों के लिए सीमित विकल्पों के कारण पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं के अनिवार्य उपयोग), (जेपीएम अधिनियम), 1987 के तहत इसकी क्षमता के अनुसार उत्पादन और आपूर्ति आदेशों के आबंटन में इसे वरीयता दी जाती है।

*****